(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

भागोती वगै. बनाम धन्ना देवी वगै0.

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई नम्बर— 22 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 1/10) उपस्थित। सर्वप्रथम प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में वर्णित खसरा नंबर 1007 में से प्रार्थीगण ने अपने खेतों में जाने के लिए रास्ता के लिए पूर्व में न्यायालय उप जिला कलक्टर नागल राजावतान के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए रा0काश्तकारी अधिनियम उनवानी मंगली देवी बनाम धन्नी देवी आदि पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 8.1.2025 को न्यायालय द्वारा पारित फरमा दिया गया और न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थीगण तहसील कार्यालय में राशि जमा करवाने के लिए 14.2.2025 को गये तो तहसील में प्रार्थीगण को बताया गया कि उक्त भूमि पर न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा स्थगन आदेश जारी हुआ है इसलिए वे राशि जमा नही कर सकते व कोई कार्यवाही नहीं कर सकते है। इस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में जाकर तलाश किया व नकल प्राप्त की तक प्रार्थीगण को न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में प्रस्तुत वाद पत्र का ज्ञान हुआ। चूंकि उक्त प्रकरण में जिस भूमि पर स्थगन आदेश दिया हुआ है उस भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के हित निहित है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने के लिए उक्त भूमि में होकर रास्ता दिये जाने का निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा फरमा दिया गया है। परन्तु इस प्रकरण में जारी स्थगन आदेश के कारण प्रार्थीगण को अपीन भूमि में जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है तब प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ व प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित हुए तो प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में बताया गया कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिस पर प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान में आकर तलाश किया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का समुचित निस्तारण नहीं हो सकता है। चूंकि उक्त प्रकरण खसरा 1007 में से प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने से संबंधित है। प्रार्थीगण के हक में अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित कर दिया है लेकिन इस वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण व न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के कारण प्रार्थीगण के हक में प्रार्थना पत्र 251 के राज. काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र के निर्णय की कियान्विति नहीं हो पा रही है और प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय हित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी व प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण (प्रा.पत्र 1/10) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण प्रा.पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 5 से 6 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई खारिज किया जाता है। शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested